

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

डीबी सिविल रिट याचिका संख्या 760/2010

राज बहादुर सिंह चौहान पुत्र स्वर्गीय श्री गुलराज सिंह चौहान, आयु लगभग 71 वर्ष, निवासी 91, आदर्श नगर, अजमेर

-----याचिकाकर्ता

बनाम

कलेक्टर (स्टाम्प), अजमेर वृत्त, अजमेर

-----प्रतिवादी

-

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री आयुष दत्त,
श्री पीयूष नाग के अधिवक्ता,
अधिवक्ता

प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री संदीप तनेजा , एएजी

--

माननीय श्रीमान. जस्टिस अवनीश झिंगन

माननीय श्रीमान. जस्टिस भुवन गोयल

आदेश

23/04/2024

अवनीश झिंगन, जे [मौखिक]:

1. यह मामला मामले की शीघ्र सुनवाई के लिए एक आवेदन पर आया है।

2. इसमें उल्लिखित कारणों से आवेदन स्वीकार किया जाता है। पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से, इस मामले पर आज ही बोर्ड में विचार किया जाता है।
3. यह याचिका कलेक्टर (स्टाम्प), अजमेर द्वारा पारित दिनांक 23.09.2009 के एकपक्षीय आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है।
4. संक्षिप्त तथ्य यह है कि 05.07.2006 को याचिकाकर्ता ने ग्राम थोक में स्थित खसरा संख्या 8177 वाला एक प्लॉट खरीदा था। मालियान , जिला अजमेर। पंजीकरण के लिए कागजात प्रस्तुत करने पर, प्रतिवादी ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (इसके बाद '1899 का अधिनियम') की धारा 47 के तहत स्टाम्प शुल्क में कमी के लिए कारण बताने के लिए एक नोटिस जारी किया। नोटिस का जवाब दिया गया और याचिकाकर्ता वकील के माध्यम से प्रतिवादी के समक्ष 28.08.2009 को उपस्थित हुआ। बहस सुनने के बाद मामले को आदेश के लिए 23.09.2009 को नियत किया गया। नियत तिथि पर आदेश सुनाने के बजाय, याचिकाकर्ता के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही करते हुए आदेश पारित किया गया और मामले को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए

20.10.2009 तक स्थगित कर दिया गया। 20.10.2009 को घोषणा की गई। इसलिए, वर्तमान याचिका।

5. याचिका में उठाई गई शिकायत यह है कि ज़िमनी आदेश से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी मामले को कानून के अनुसार आगे नहीं बढ़ा रहा था। इसके अलावा, यह आदेश बिना किसी तर्क के है।

6. प्रतिवादी के विद्वान एएजी ने विवादित आदेश का बचाव किया और कहा कि विवाद संपत्ति के मूल्यांकन के संबंध में था।

7. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा दलीलों का अवलोकन किया गया।

8. ज़िमनी आदेशों से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी ने पिछली तारीखों पर दिए गए आदेशों को नज़रअंदाज़ कर दिया था और अपनी मनमानी से मामले को आगे बढ़ाया था। 28.08.2009 को दलीलें सुनने के बाद मामले को आदेश सुनाने के लिए नियत किया गया था। 23.09.2009 को यह दर्ज किया गया कि याचिकाकर्ता का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है और एकपक्षीय कार्यवाही की जा रही है। इसके बाद मामले को साक्ष्य के लिए 20.10.2009 की तारीख तय की गई, लेकिन उसी दिन आदेश सुना दिया गया।

9. विवादित आदेश पर सरसरी निगाह डालने से यह स्पष्ट है कि रिक्त स्थानों सहित पूर्व-मुद्रित प्रोफार्मा का उपयोग किया गया था। आदेश रिक्त स्थानों को हाथ से भरकर और माँग सृजित करके पारित किया गया था।

10. कानून में यह बात स्पष्ट रूप से स्थापित है कि अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी को न केवल कारण दर्ज करना है, बल्कि प्रभावित पक्षों को इसकी सूचना भी देनी है।

11. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, विवादित आदेश को रद्द किया जाता है और मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए प्रतिवादी को वापस भेज दिया जाता है।

12. यह देखते हुए कि विवादित आदेश वर्ष 2009 में पारित किया गया था, प्रतिवादी द्वारा मामले के तथ्यों के आधार पर मामले को यथासंभव शीघ्रता से तय करने का ईमानदार प्रयास किया जाना चाहिए।

13. याचिका स्वीकार की जाती है।

(भुवन गोयल), जे

(अवनीश झिंगन), जे

एचएस/रिया/43

रिपोर्ट योग्य:- हाँ

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निशपादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी